

राजस्थानसरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-09/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00032

सहीराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.....वादी

बनाम

1. अजयसिंह पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
2. तारली पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
3. बाला पुत्री फुलसिंह पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना।
4. मुन्नी पुत्री फुलसिंह पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना।
5. सन्तोष पुत्री फुलसिंह पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना।
6. सुनिता पुत्री फुलसिंह पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जाखोद तहसील सूरजगढ।
7. सुनील पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
8. रेणु पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी असर-22 ओल्ड उत्तम नगर नईदिल्ली।
9. सुनील देवी पत्नी दलीप जाति अहीर निवासी डी- 35 हस्त शाल विहार उत्तमनगर नईदिल्ली।
10. बैंक ऑफ बडौदा जरिए शाखा प्रबन्धक भिरं।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज।

.....प्रतिवादीगण



दावा बाबत-खाता विभाजन

--:निर्णय :-

दिनांक :- 18-10-2022

(1). वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क). यह कि वाके ग्राम भिरं तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 363 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 39 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है., किता 4 कुल रकबा 1.67 है में वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार वाके ग्राम भिरं स्थित भूमि खसरा नम्बर 1489/1254 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 355 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 464 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 513 रकबा 1.70 है., खसरा नम्बर 621 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 64 रकबा 1.01 है., खसरा नम्बर 774 रकबा 1.57 है., खसरा नम्बर 908 रकबा 0.97 है. किता 8 कुल रकबा 6.29 है. में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार वाके ग्राम भिरं स्थित खसरा नम्बर 679 रकबा 0.63 है. में वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा लगान भी अलगाय किया जावे।



(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

- (2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
- (3) वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78, नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।
- (4) दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 28-01-2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 945 दिनांक 12-04-2022 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 13-04-2022) को प्राप्त हुई। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

---: आदेश :-

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भिर तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू राज मे स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 123 के खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 363 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 39 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है., किता 4 कुल रकबा 1.67 है. व खाता संख्या 297 के खसरा नम्बर 1489/1254 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 355 रकबा 0.03 है. , खसरा नम्बर 464 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 513 रकबा 1.70 है., खसरा नम्बर 621 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 64 रकबा 1.01 है., खसरा नम्बर 774 रकबा 1.57 है. ,खसरा नम्बर 908 रकबा 0.97 है. किता 8 कुल रकबा 6.29 है. एवं खाता संख्या 1114 के खसरा नम्बर 679 रकबा 0.63 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकार्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

18-10-2022  
निर्णय आज दिनांक ----- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

जिला झुन्डुनू (राज.)



**मूल वाद में अंतिम डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

राजस्थानसरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-09/2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00032

सहीराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.....वादी

बनाम

1. अजयसिंह पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
2. तारली पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
3. बाला पुत्री फुलसिंह पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना।
4. मुन्नी पुत्री फुलसिंह पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना।
5. सन्तोष पुत्री फुलसिंह पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद ढाणी हुक्मा तहसील बुहाना।
6. सुनिता पुत्री फुलसिंह पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरं हाल आबाद जाखोद तहसील सूरजगढ।
7. सुनील पुत्र फुलसिंह जाति जाट निवासी भिरं तहसील बुहाना।
8. रेणु पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी असर-22 ओल्ड उत्तम नगर नईदिल्ली।
9. सुनील देवी पत्नी दलीप जाति अहीर निवासी डी- 35 हस्त शाल विहार उत्तमनगर नईदिल्ली।
10. बैंक ऑफ बडौदा जरिए शाखा प्रबन्धक भिरं।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज।

.....प्रतिवादीगण

**दावा बाबत-खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से श्री गुलशन डांगी एडवोकेट की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/10/2022 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भिरं तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 123 के खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.40 है., खसरा नम्बर 363 रकबा 0.76 है., खसरा नम्बर 39 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 है., किता 4 कुल रकबा 1.67 है. व खाता संख्या 297 के खसरा नम्बर 1489/1254 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 355 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 464 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 513 रकबा 1.70 है., खसरा नम्बर 621 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 64 रकबा 1.01 है., खसरा नम्बर 774 रकबा 1.57 है., खसरा नम्बर 908 रकबा 0.97 है. किता 8 कुल रकबा 6.29 है. एवं खाता संख्या 1114 के

(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

खसरा नम्बर 679 रकबा 0.63 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काशतकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18/10/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।



(सनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना  
जिला इन्दौर (राज.)